न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गूर्जर, **R.A.S.**

प्रकरण सख्या:–01 / 2023 दायर दिनांक:–09.01.2023

जीसीएमएस नं. 2023 / 12

विश्राम उम्र 56 साल पुत्र लड्डु जाति मीना निवासी गढी पट्टी गांवडा मीना तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

––प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला करौली राज0

–अप्रार्थीगण–02

प्रार्थना पत्र बाबत धारा 251 (क)

उपस्थितः– 1. श्री अशोक नीमनका वकील प्रार्थीगण

2. पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक** 7-3-25

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) एल आर एक्ट 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सेवा में प्रार्थना पत्र निम्नलिखित पेश है कि आराजी खसरा न0 231 रकबा 12 ऐयर स्थित ग्राम गढीपट्टी गांवडा मीना तहसील हिण्डौन में प्रार्थी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। एवं इससे लगवा प्रार्थी की अन्य खातेदारी के खेत भी है।

प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत खसरा न0 231 में पहुचनें बाबत खसरा न0 233 सरकारी सिवाचयक में होकर आते जाते रहे है। और उक्त रास्ते को प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग की बाउण्डी लाईनों से महदूद कर दर्शाया गया है। हालांकि मौके पर हिण्डौन में गांवडा मीना को जाने वाली मुख्य सडक खसरा न0 872 / 1916 से गांव गढी पट्टी को खसरा न0 233 में होकर गुजरने वाले रास्ते से मौके पर जोड़ [illegible] एवं मौके पर खसरा न0 233 की पूर्वी डोल के सहारे उत्तर [illegible] मौजूद है। प्रार्थी के खसरा न0 231 को जोडने बाबत उक्त रास्ते [illegible] आवागमन बाबत रास्ते [illegible] लाल डोटेड लाईनों से प्रदर्शित किया गया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत खसरा न0 231 को आवागमन बाबत कोई रास्ता मौजूद नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:33:58 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शे में डोटेड लाईनों के प्रदर्शित रास्ते के माध्यम से ही प्रार्थी लम्बे समय से अपनन काश्त की व्यवस्था करता चला आ रहा है। अपने मवेशियों को, अपनी फसल को, साधनों को भी प्रार्थी इसी रास्ते के माध्यम से लाता रहा है। लेकिन उक्त रास्ता रेवेन्यु ट्रैस में मौजूद नहीं होनेके कारण प्रार्थी को आये दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि प्रार्थी उक्त रास्ता जिस नजरी नक्शें में डोटेड लाईनों से प्रदर्शित किया गया है बाबत नियमानुसार फीस जमा कराने को भी तैयार है।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नजरी नक्शे में लाल डोटेड लाईनों से प्रदर्शित 12 फिट चौडा रास्ता खसरा न0 233 की पूर्वी डोल तक नियमानुसार तय दर कर प्रार्थी को दिलवाते हुए। उक्त रास्ते का अंकन समस्त रेवेन्यु रिकॉर्ड एंव कागजात पटवार में अमल दरामद फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन द्वारा पत्रांक 2432 दिनांक 23.05.2024 को जबाब पेश किया जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थना पत्र का मद नं01 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। बल्कि सही तथ्य इस प्रकार है कि इस मद में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 231 रकबा 0.12 है० वाके ग्राम गढीपट्टी तहसील हिण्डौन की खातेदारी मुताविक जमाबन्दी सं0 2072–75 किल्याण राजू राजल्ली पि० जिन्सी हि01/2. विश्राम पुत्र लड्डू हि01/2 जाति मीना सा०देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी उक्त भूमि में 1/2 हिस्से में आवास बनाकर निवास कर रहा है। प्रार्थी जिस जगह निवास कर रहा है, उसके लिए सबसे कम दूरी का निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 230 गै०मु० आबादी में होकर जा रहे इंटरलोकिंग रास्ते से 20 फिट की दूरी पर है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।
2. प्रार्थना पत्र का मद नं02 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। बल्कि सही तथ्य इस प्रकार है कि पूर्व में खातेदार द्वारा खसरा नम्बर 230 गै०मु० आबादी मे बनी सडक इन्टरलोकिंग के मध्य से एवं–खसरा नम्बर 233 शिवायचक में बशी आबादी में होकर पगडंडीनुमा रास्ते का उपयोग कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:53:58 IST
Reason: SelfAttested

रहा है। खसरा नम्बर 233 के शेष रकबा मे आबादी, पुख्ता बाउण्ड्रीयां एवं इन्टरलोकिंग सडक मार्ग बन रहा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।

3. प्रार्थना पत्र का मद नं० 3 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। बल्कि सही तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 233 में होकर जिस जगह रास्ता चाह रहा है उस जगह पक्की चार दीवारी मौके पर बनी हुई है। प्रार्थी चार दीवारी की बगल से पगडडीनुमा रास्ता से एव खसरा नम्बर 230 गै०मु० आबादी में बनी इंटरलॉकिंग सडक के मध्य से आता जाता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।
4. प्रार्थना पत्र का मद नं04 कानूनी है।
5. प्रार्थना पत्र का मद नं0 5 कानूनी है।
6. प्रार्थना पत्र का मद नं0 6 कानूनी है।
7. मौके पर आराजी खसरा नम्बर 231, 233, 230 में बसी हुई आबादी के सभी लोग खसरा नम्बर 230 मे बनी इन्टरलॉकिंग सडक एवं खसरा नम्बर 233 में मौके पर बनी सडक एवं खसरा नम्बर 233 के बीच–बीच मे बनी पगडडीनुमा रास्ते से आवागमन करते हैं। इसलिए प्रार्थी को अलग से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने हेतु दस्तावेजी सबूत में नकल नक्शा ट्रेस, जमाबंदी संवत 2072–75 खाता संख्या 1 वाके ग्राम गढीपट्टी तहसील हिण्डौन पेश किये।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये ज[illegible]दन किया है। अप्रार्थी पेराकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन [illegible] नम्बर 231, 233, 230 में बसी हुई आबादी के सभी लोग खसरा नम्बर 230 में बनी इन्टरलॉकिंग सडक एवं खसरा नम्बर 233 मे मौके पर बनी सडक एवं खसरा नम्बर 233 के बीच–बीच में बनी पगडडीनुमा रास्ते से आवागमन करते है। इसलिए प्रार्थी को अलग से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:53:58 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार हिण्डौन के जबाव का विवेचन करने पर पाया कि मौके पर आराजी खसरा नम्बर 231, 233, 230 में बसी हुई आबादी के सभी लोग खसरा नम्बर 230 में बनी इन्टरलॉकिंग सडक एवं खसरा नम्बर 233 में मौके पर बनी सडक एवं खसरा नम्बर 233 के बीच-बीच में बनी पगडंडीनुमा रास्ते से आवागमन करते हैं। तहसीलदार हिण्डौन की जबाव के बिन्दु संख्या 3 में यह अंकित किया गया है कि खसरा न0 233 जो एक राजकीय भूमि है उसमें चारदीवारी कर अतिक्रमीयों द्वारा अतिक्रमण कर चारदीवारी किया जाना साबित होता है परन्तु तहसीलदार हिण्डौन द्वारा उक्त अतिक्रमण की बेदखली संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है। अतः इस संबंध में तहसीलदार हिण्डौन से खसरा न0 233 पर अतिक्रमियों द्वारा चारदीवारी कर किये जा रहे अतिक्रमण की बेदखली हेतु ठोस कार्यवाही के लिये निर्देशित किया जाना न्यायोचित है एवं खसरा न0 233 सिवायचक राजकीय भूमि होने के कारण, तहसीलदार रिपोर्ट से अन्य वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में आबादी से होकर उपलब्ध होने के कारण व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 क एल आर एक्त की परिधि में नहीं आने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/3/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 7/3/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:53:58 IST
Reason: SelfAttested